न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

(39)

उपस्थितः- रामेश्वर, (एच0 जे0 एस0)
JO Code No. UP6537
सत्र परीक्षण संख्याः-49/2019
(CNR UPKR01-000842-2019)

राज्य प्रति

1. अभिनन्दन पुत्र राजबहादुर
2. राजकुमार पुत्र जबर सिंह
3. राजेश पुत्र जबर सिंह
   निवासीगण ग्राम जारई थाना अमांपुर, जिला कासगंज

मुकदमा अपराध संख्या-364/2017
धारा-306 भारतीय दण्ड संहिता
थाना-अमांपुर, जिला-कासगंज।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता- श्री संजीव सिंह यदुवंशी

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष-श्री ब्रहम्मानन्द शाक्य

मृतक का नाम- रामसेवक

घटना की तिथि- 05.10.2017

अभियुक्तगण के आत्मसमर्पण की तिथि -27.10.2017 व 08.11.2017

सत्र सुपुर्द की तिथि- 30.01.2019

आरोप विरचित किये जाने की तिथि- 13.02.2019

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि- दिनांक 17.10.2019 से 06.03.2025

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि- 10.03.2025

बहस की तिथि-18.03.2025 एवं 19.03.2025

निर्णय की तिथि-25.03.2025

निर्णय

1- अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार एवं राजेश का विचारण मुकदमा अपराध संख्या 364/2017 अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अमॉपुर, जिला कासगंज के मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

2- उक्त सत्र परीक्षण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि- वादी मुकदमा जुगेन्द्र सिंह यादव पुत्र अमर सिंह, निवासी जारई, थाना-अमांपुर, जिला-कासगंज ने दिनांक 08.10.2017 को सम्बंधित थाना अमांपुर पर एक लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1**

इस आशय की प्रस्तुत की थी कि कु० कल्लो पुत्री राजबहादुर निवासी जारई थाना अमाँपुर के उसके भाई रामसेवक से नाजायज सम्बन्धों को लेकर उपरोक्त राजबहादुर ने रामसेवक को गांव से चले जाने को कहा और यह भी कहा कि यदि गांव से नहीं गया तो उसे जिन्दा नहीं छोडेंगे। इसके बाद भी कु० कल्लो छिपकर रामसेवक से मिलती रही। दिनांक–05.10.2017 को सुवह करीब 3:30 बजे उपरोक्त रामसेवक को प्रार्थी के घर के सामने खेतों में शौच हेतु जाते समय अभिनन्दन पुत्र राजबहादुर, बन्टू पुत्र राजेश, राजेश पुत्र जबर सिंह, रामौतार पुत्र जबर सिंह, पूरन देवी पत्नी राजबहादुर, राजकुमार उर्फ छोटे पुत्र जबर सिंह निवासीगण जारई थाना अमांपुर जनपद कासगंज, सौर ऊर्जा की रोशनी में जबरन खींचकर ले गये। रामसेवक को ले जाते हुए श्रीमती सावित्री, श्रीमती नैना देवी, मंजेश ने देखा और उपरोक्त अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, जबर सिंह, रामौतार, पूरन देवी, छोटे उर्फ राजकुमार ने अपने घर में ले जाकर रामसेवक की हत्या कर घर में लटकाकर उसे बन्द कर भाग गये। उपरोक्त अभिनन्दन आदि को घर से भागते हुए हरवीर व नीरज ने देखा व पहचाना। पुलिस को दी गयी सूचना पर पुलिस ने आकर रामसेवक के शव को उतरवाकर शव विच्छेदन हेतु एटा भेजा। वह अपने भाई की निर्मम हत्या के कारण काफी सदमे में आ गया था, उसका अंतिम संस्कार कराने के बाद हिम्मत करके रिपोर्ट हेतु आया है। उक्त आधारों पर वादी द्वारा उचित कार्यवाही कर प्राथमिकी दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3– वादी की लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर अभियुक्तगण अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, श्रीमती पूरन देवी एवं राजकुमार उर्फ छोटे के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** थाना अमांपुर पर मुकदमा अपराध सं0 364/2017, अन्तर्गत धारा 147, 302 भारतीय दंण्ड संहिता पंजीकृत की गयी, जिसका खुलासा आमद तहरीर कायमी सं0 11 दिनांकित 08.10.2017 समय 08:30 बजे **प्रदर्श क–03** में किया गया तथा वापसी विवेचना से उक्त मामले में धारा 302 भा0दं0सं0 का होना नहीं पाया गया और धारा 302 भा0दं0सं0 को धारा 306 भा0दं0सं0 में तरमीम किया गया, जिसका खुलासा रपट संख्या 46 समय 23:20 बजे दिनांकित 08.10.2017 में किया गया। दौराने विवेचना, विवेचक ने नक्शा नजरी **प्रदर्श क–7** तैयार किया तथा मृतक रामसेवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–5** आदि एकत्रित की तथा गवाहान के बयानात अंकित किये एवं विवेचना सम्बन्धी अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण बन्टू

रामौतार एवं श्रीमती पूरन देवी की नामजदगी गलत पाते हुये उनके नाम विवेचना से पृथक किये गये एवं धारा 147 भा0दं0स0 का लोप किया गया तथा अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश एवं राजकुमार के विरूद्ध ही अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र **प्रदर्श क–8** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

सुपुर्दगी आदेशः–

4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज ने सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.01.2019 में धारा 207 दं0प्र0सं0 के अधीन अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश एवं राजकुमार को आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान कराये जाने का उल्लेख करते हुये मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण, सत्र सुपुर्द किया गया।

आरोप की धाराः–

5– सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2019 को अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश एवं राजकुमार के विरूद्व आरोप अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन के मौखिक साक्षीगण :–

6– अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जुगेन्द्र, पी0डब्लू0–2 नैना देवी, पी0डब्लू0–3 कालीचरन, पी0डब्लू0–4 सावित्री, पी0डब्लू0–5 शैतान सिंह, पी0डब्लू0–6 एस.एस. आई. मानवीर सिंह, पी0डब्लू0–7 किशनलाल, पी0डब्लू0–8 मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–9 डा0 रंजीत सिह, पी0डब्लू0–10 निरीक्षक पहलवान सिंह, पी0डब्लू0–11 निरीक्षक राजू सिंह एवं पी0डब्लू0–12 उपनिरीक्षक अमित शर्मा को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, अभियोजन पक्ष ने अन्य कोई मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः–

7– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रपत्र का नाम	किसने साबित किया
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर वादी मुकदमा	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–3	आमद तहरीर संख्या 11 समय 08:30	पी0डब्लू0–6

प्रदर्श क–4	पोस्टमार्टम के सम्बन्ध में दिया गया प्रा0पत्र	पी0डब्लू0–7
प्रदर्श क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी0डब्लू0–9
प्रदर्श क–6	फोटोनाश	पी0डब्लू0–9
प्रदर्श क–7	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–10
प्रदर्श क–8	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–11
प्रदर्श क–9	पंचायतनामा	पी0डब्लू0–12
प्रदर्श क–10	चिट्ठी सी.एम.ओ.	पी0डब्लू0–12
प्रदर्श क–11	फोटो लाश	पी0डब्लू0–12
प्रदर्श क–12	पुलिस फार्म नं. 33	पी0डब्लू0–12
प्रदर्श क–13	पुलिस फार्म नं. 33	पी0डब्लू0–12

अभियुक्तगण की परीक्षाः–

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश एवं राजकुमार के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रकिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य को गलत व फर्जी बताते हुए कथन किया है कि मृतक रामसेवक के दिमाग में गर्मी आ जाती थी। इसलिये उसने राजबहादुर के भूसे वाले कमरे की अन्दर से कुण्डी लगाकर आत्महत्या कर ली और कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उनके द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण अथवा उकसाया नहीं गया है एवं सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है।

सफाई साक्ष्य–

9– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में साक्षी देवेन्द्र को डी0डब्लू0–1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है।

10– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "फौजदारी" के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया।

अभियोजन का मौखिक साक्ष्य

11– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जुगेन्द्र जो कि मृतक का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके गांव की कु0 कल्लो पुत्री राजबहादुर और उसके भाई रामसेवक में आपसी

सम्बन्ध थे और एक दूसरे से छुपकर मिलते थे, राजबहादुर और छोटे सिंह उर्फ राजकुमार ने उसके भाई रामसेवक से कहा कि तू गांव छोड़कर कहीं चला जा और यदि गांव छोड़कर नहीं गया तो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे किन्तु उसका भाई रामसेवक गांव छोड़कर गया नहीं। दिनांक 05.10.2017 को सुबह साढ़े तीन बजे उसका भाई रामसेवक शौंच करने गया था तथा उसी समय कु0 कल्लो भी छिपकर उससे मिलने आयी। उसी समय अभिनन्दन पुत्र राजबहादुर, बन्टू पुत्र राजेश, रामौतार पुत्र जबर सिंह, छोटे उर्फ राजकुमार पुत्र जबर सिंह और पूरन देवी पत्नी राजबहादुर निवासीगण जारई को सौर ऊर्जा की रोशनी में सावित्री, नैना देवी, मंजेश ने उपरोक्त लोगों को रामसेवक को अपने घर ले जाते हुए देखा। अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, छोटे उर्फ राजकुमार, रामौतार, पूरन देवी ने उसके भाई की मारपीट कर रस्सी से फांसी लगाकर लटका दिया और घर को ताला लगाकर भाग गये। उपरोक्त लोगों को घर से भागते हुए नीरज और हरवीर, सावित्री, नैना देवी और मंजेश ने भी देखा था। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, पुलिस ने आकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया। उसने दिनांक 06.10.2017 को टाइप कराकर तहरीर अपने हस्ताक्षर कर थाने में दी जिस पर मुकदमा दिनांक 08.10.2017 को दर्ज हुआ था, दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे और उसने दरोगा जी को घटनास्थल दिखाया था। साक्षी को तहरीर कागज संख्या 5अ/5 दिखाया तो साक्षी ने कहा यह वही तहरीर है जो उसने बोलकर टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर कर थाने पर दी थी। साक्षी ने तहरीर व हस्ताक्षकर कर थाने पर दी थी। साक्षी ने तहरीर व हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

12– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य की चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 नैना पत्नी रामसेवक जो कि मृतका की पत्नी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी शादी रामसेवक से आसाढ के महीने में हुई थी। आज से करीब दो साल तीन महीने पहले उसकी शादी में करीब ढाई महीने बाद अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, छोटे, पूरन देवी ने मिलकर उसके पति रामसेवक की राजबहादरु के घर में ही जाकर हत्या कर दी थी। उसके पति रामसेवक किसी प्रकार के तनाव में नहीं रहते थे। उसने अपने पति की हत्या के बाद यह सुना था कि शादी से पहले से राजबहादुर की लड़की कुमार कल्लो से उसके पति रामसेवक के अवैध सम्बन्ध थे। लेकिन यह बात उसके पति ने उसे

नहीं बतायी थी। राजबहादुर मुल्जिमान उपरोक्त के परिवार के हैं। दिनांक 05.10.2017 को रात में करीब साढे तीन बजे उसका पति रामसेवक घर से शौंच के लिए गया था, सौर ऊर्जा की रोशनी भी रास्ते में थी, उसके पति को जबरन अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, छोटे, पूरन देवी खींचकर ले गये। राजबहादरु ने अपने घर में ले जाकर हत्या कर दी। यह सभी हत्या करने के बाद घर से भाग गये। घर से भागते समय हरवीर, नीरज ने देखा है। घटना के बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। इन सभी ने उसके पति की हत्या की है जो बयान उसने आज दिया है, यही बयान उसने दरोगा जी को दिया है।

13— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–3 कालीचरन जो कि पंचायतनामा का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 4/5.10.2017 की रात में उसके गांव के रामसेवक की हत्या राजबहादुर के मकान में कर दी गयी थी। घटना की सूचना पर वह सुबह करीब आठ बजे रामसेवक की लाश मिलने वाले स्थान पर गया था तो वहां पर पुलिस उससे पहले आ चुकी थी। गांव के भी कई लोग मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने उसे तथा अन्य चार लोगों को लाश के पंचनामा की कार्यवाही के लिए पंच बनाया था। जिनमें उसके अलावा रूमान सिंह, राजबहादुर, शैतान सिंह व रिषीपाल सिंह पंच बनाये गये थे। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा की लिखा–पढी करके पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने पंचों के कहने पर पंचनामा की कार्यवाही के बाद रामसेवक की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने उसके पहुंचने पर सुबह करीब आठ बजे पंचनामा की कार्यवाही शुरू कर दी थी, जो करीब एक घण्टे चली थी। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद पंचनामा कागंज सं0 11अ/2 व 11अ/3 को देखकर उस पर मौजूद अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

14— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य की चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–4 सावित्री जो कि मृतका की मां है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके गांव के राजबहादुर की लड़की कुमारी कल्लो का उसके पुत्र रामसेवक से अवैध सम्बन्ध था। इसी बात को लेकर घटना से करीब 4 दिन पहले राजबहादुर ने उसके पुत्र रामसेवक से कहा था कि तू गांव को छोड़ जा नहीं तो हम तूझे जान से मार देंगे। रामसेवक की शादी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कल्लो छिपकर रामसेवक से मिलती रहती थी। आज से करीब सवा सात साल पहले दिवाली से

पहले कार्तिक महीने की चौदस के दिन सुबह के करीब 3:30 बजे रामसेवक घर से खेतों की तरफ शौंच करने जा रहा था। वह लोग भी घर पर शौंच आदि क्रिया के लिए उठ गये थे। तभी उसके गांव के ही अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, राजकुमार उर्फ छोटे और पूरनदेवी रास्ते में से रामसेवक को जबरन खींच कर ले गये। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा रामसेवक को रास्ते में से खींच कर राजबहादुर के घर में ले जाते हुए सौर उर्जा की रोशनी में उसने, नैना देवी तथा मंजेश ने देखा था। उपरोक्त अभियुक्तगण ने रामसेवक को राजबहादुर के घर में ले जाकर फांसी पर लटका कर उसकी हत्या कर दी। रामसेवक को जब उपरोक्त मुल्जिमान राजबहादुर के घर ले जा रहे थे तो उसने यह समझा कि यह लोग बातचीत करने को ले जा रहे है। जब रामसेवक काफी देर तक राजबहादुर के घर में से लौट कर नहीं आया तो उसने रामसेवक को देखने अपने दूसरे लडके मंजेश को भेजा तो मंजेश के सामने मुल्जिमान उपरोक्त अपने घर की कुन्डी बाहर से लगाकर भाग गये थे। फिर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। तो पुलिस ने मौके पर आकर राजबहादुर का घर खोल कर रामसेवक की लाश को उसके मड़हा में से बाहर निकलवा कर बाहर रखवाया था। वह अपने पुत्र की हत्या पर रोने पीटने लगी थी। पुलिस ने अपनी कार्यवाही करके रामसेवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने अपनी क्या–क्या कार्यवाही की थी वह नहीं जानती। घटना की रिपोर्ट उसके लड़के जोगिन्दर ने थाने पर लिखायी थी। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

15– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–5 शैतान सिंह जो कि पंचायतनामा का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके गांव के राजबहादुर की लड़की कल्लो का अवैध प्रेम प्रसंग उसके गांव के ही अमर सिंह के लड़के रामसेवक से चल रहा था। दोनों आपस में छुपकर मिलते रहते थे। दिनांक–05.10.2017 को उसने सुना की रात में रामसेवक की हत्या हो गयी है। रामसेवक की हत्या की सूचना सुनकर वह सुबह करीब 8 बजे घटनास्थल पर पहुंच गया था। हत्या की घटना से करीब एक माह पूर्व कल्लो के पिता राजबहादुर ने अमर सिंह के घर पर जाकर कहा था कि तुम अपने लड़के रामसेवक को समझा लो कि उसकी लड़की से मिले–जुले नहीं, गलत सम्बधं नहीं बनाये, अपने लड़के को गांव से बाहर भेज दो। यह बात उसने अपने कानों से सुनी थी, इन लोगों में इस बात को सुनते हुये वह चला गया था। जब वह

घटनास्थल पर पहुंचा तो रामसेवक की लाश राजबहादुर के घर में जमीन पर पड़ी थी। उससे पहले पुलिस व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंच गये थे। पंचनामा की कार्यवाही उसके सामने पुलिस ने की थी। पुलिस ने उसे, कालीचरन, रिषीपाल, राजबहादुर तथा रूमान सिंह को पंच नियुक्त किया था। पुलिस ने मौके पर पंचनामा की लिखा–पढ़ी की थी। राय पंचान उसने ही लिखी थी तथा राय पंचान पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे, अन्य पंचो ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये थे। राय पंचान में रामसेवकी की हत्या फांसी से होना प्रतीत होती थी, किंतु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए हम पंचों ने पुलिस को पोस्टमॉर्टम कराने की राय दी थी। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

16– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0–6 एस.एस.आई. मानवीर सिंह चिक लेखक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.10.2017 को वह थाना अमांपुर पर बतौर कां0 क्लर्क तैनात था। इसी दिनांक को वादी मुकदमा जुगेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गांव जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज की टाईपशुदा तहरीर के आधार पर उसके पुत्र रामसेवक की हत्या के सम्बंध में मु0अ0सं0–364/17, अंतर्गत धारा–147, 302 भा0दं0सं0 विरूद्ध अभियुक्तगण अभिनन्दन, बंटू, राजेश, रामौतार, श्रीमती पूरन देवी तथा राजकुमार उर्फ छोटे शब्द व शब्द तहरीर उसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट टंकित कर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा की विवेचना एस0ओ0 श्री पहलवान सिंह के सुपुर्द की गयी थी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसने अपने हस्ताक्षर करके एस0ओ0 श्री पहलवान सिंह के हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 5अ/1 लगायत 5अ/4 को जरिये वी0सी0 कैमरा देखकर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उस पर मौजूद अपने व एस0ओ0 श्री पहलवान सिंह के हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श–क–2** डाला गया। मुकदमा का खुलासा नकल रपट सं0–11 समय 08:30 बजे पर किया गया था तथा एस0ओ0 श्री पहलवान सिंह मय हमराह फोर्स घटनास्थल को रवाना हुये थे। नकल रपट उसने अपने लेख में किता कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद नकल रपट सं0 11 कागज सं0 7अ/1 व 7अ/2 प्रमाणित छायाप्रति को जरिये वी0सी0 कैमरा देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0—7 किशनलाल लेखक फौती तहरीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक—05.10.2017 को सुबह करीब छः बजे अमर सिंह का पुत्र रामसेवक गांव के ही राजबहादुर के मकान में प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ मिला था। रामसेवक की मृत्यु हो चुकी थी। अमर सिंह गम में थे तो लाश का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए अमर सिंह की ओर से उसने तहरीर अपने लेख में लिखकर पुलिस को दी थी। तहरीर पर उसने अपना व अमर सिंह का नाम पता लिखकर तहरीर पर उसने अमर सिंह का निशानी अंगूठा भी लगवाया था। अमर सिंह की करीब एक साल से पहले मृत्यु हो चुकी है। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद तहरीर कागज सं0 8अ को पढ़कर तहरीर को अपने लेख में होने तथा उस पर अमर सिंह के निशानी अंगूठा की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श—क—4** डाला गया।

18— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0—8 मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक रामसेवक उसका छोटा भाई था। दिनांक 05.10.2017 को सुबह करीब साढ़े तीन बजे रामसेवक की मृत्यु हो गयी थी। रामसेवक की मृत्यु कैसे हुयी थी, उसने नहीं देखा था। रामसेवक की लाश राजबहादुर के कमरे में बंद थी। पुलिस ने आकर निकलवायी थी, तभी उसने रामसेवक की लाश देखी थी। कुमारी कल्लो उसके गांव के राजबहादुर की लड़की है। घटना के समय वह कुंवारी थी। उसके भाई रामसेवक का घटना से करीब 2—3 माह पहले विवाह उसके माता—पिता ने उसके मामा की लड़की नैना के साथ कर दिया था। वह गांव में ही रहकर खेती का काम करता है। उसे जानकारी नही है कि उसके भाई रामसेवक का राजबहादुर की लड़की कल्लो से अवैध प्रेम सम्बंध थे अथवा नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि कल्लो से अवैध प्रेम सम्बंध को लेकर राजबहादुर ने उसके भाई रामसेवक को गांव छोड़ने अन्यथा जिंदा नहीं छोड़ने की कहकर धमकाया हो। उसके जानकारी नहीं है कल्लो व रामसेवक छिपकर आपस में मिलते—जुलते हो। घटना वाली रात्रि व समय को वह अपने घर में सो रहा था। उसने अभिनन्दन, बण्टू, राजेश, राजबहादुर, राजकुमार, रामौतार व पूरन देवी द्वारा अपने भाई रामसेवक को जबरन खींचकर राजबहादुर के घर में ले जाते हुये नहीं देखा था। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर आकर अपनी लिखा—पढ़ी की कार्यवाही की थी और रामसेवक की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा था। घटना की रिपोर्ट उसके भाई जुगेन्द्र

ने लिखा दी थी। उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण अभिनन्दन, बण्टू, राजेश, राजबहादुर, राजकुमार, रामौतार व पूरन देवी ने रामसेवक को अपने घर में ले जाकर उसकी हत्या करके लाश कमरे में लटका दी हो। विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था।

19— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0—9 डा0 रंजीत सिंह पोस्टमार्टमकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.10.2017 को वह सी0एच0सी0 अलीगंज पर बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था। इसी दिनांक को उसकी ड्यूटी मोर्चरी एटा पर लगी थी। इसी दिनांक को मृतक रामसेवक उम्र करीब 22 साल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज का शव कां0 रिंकू बाबू व कां0 भरत सिंह द्वारा मय आठ पुलिस प्रपत्र मार्चरी पर लाया गया था। जिसका शव विच्छेदन सं0 268/17 समय 12:50 पी0एम0 से शुरू करके 01:25 पी0एम0 तक उसने किया था। मृतक की कदकाठी औसत थी, शरीर पर अकड़न मौजूद थी तथा आंखे बंद थी। **शव का बाह्य परीक्षण** :— 1— गर्दन पर 23 सेमी0 x 2 सेमी0 थायरायड़ कॉर्टिलेज के ऊपर लिगेचर मार्क मौजूद था, जो कि 4 सेमी0 बायीं गर्दन की तरफ मौजूद नहीं था। 2— लिगेचर मार्क को काटने पर ड्राई एण्ड ग्लीसनिंग, सफेद बैण्ड सबक्यूटेनस टिशू में मौजूद थे। **शव का आंतरिक परीक्षण** :—1— आंतरिक अंग मस्तिष्क, दोनों फेंफड़े, लीवर और प्लीहा कंजेस्टेड थे। शेष आंतरिक अंग सामान्य थे। **मृतक की वस्तुएं** :—एक शर्ट, एक कच्छा, एक कलावा, एक रबर बैण्ड, एक सफेद छल्ला (दांयी रिंग फिंगर) तथा गले में बंधा हुआ रस्सी का टुकड़ा सील सर्वे मौहर किया गया। **मृत्यु पूर्व समय** :—करीब आधा दिन था (करीब 12 घण्टे) **मृत्यु का कारण** :—फांसी लगने से दम घुटने के कारण। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करके लिफाफे में सीलकर मय मृतक की वस्तुओं का पुलिंदा साथ आये कां0 रिंकू बाबू के सुपुर्द किये थे। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कागज सं0—12अ/2 तथा फोटानाश कागज सं0 12अ/1 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श—क—5 तथा प्रदर्श—क—6** डाले गये।

20— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0—10 पहलवान सिंह जो कि मामले का प्रथम विवेचक है ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.10.2017 को वह थाना प्रभारी अमांपुर के पद पर तैनात था। इसी

दिनांक को मृतक रामसेवक के पिता अमर सिंह पुत्र झब्बूलाल निवासी ग्राम जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज की लिखित तहरीर पर फौती सूचना नकल रपट स0 14 समय 07:10 बजे पर अंकित हुयी थी। जिसके अनुक्रम में वह थाना से मय हमराहियान रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा तथा वहां पर उसके निर्देश पर एस0आई0 अमित शर्मा द्वारा मृतक रामसेवक के शव के पंचनामा की कार्यवाही की गयी तथा एस0आई0 अमित शर्मा द्वारा पंचनामा भरा गया। पंचनामा की कार्यवाही सुबह 07:20 बजे शुरू होकर सुबह 09:00 बजे तक चली थी। तत्पश्चात् रामसेवक के शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया था। दिनांक–08.10.2017 को वादी मुकदमा जुगेन्द्र सिंह यादव पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज की टाईपशुदा तहरीर पर उसके भाई रामसेवक की हत्या के सम्बंध ा में मु0अ0सं0–364/17, धारा– 147, 302 भा0दं0सं0 विरूद्ध अभियुक्तगण अभिनन्दन, बण्टू, राजेश, रामौतार, श्रीमती पूरन देवी तथा राजकुमार उर्फ छोटे थाना अमांपुर पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उसने स्वयं ग्रहण की थी। इसी दिनांक को पर्चा सं0–1 में नकल रपट फौती सं0–14, दिनांक 05.10.2017 नकल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट सं0–11 कायमी मुकदमा, बयान वादी मुकदमा जुगेन्द्र सिंह यादव अंकित किया गया तथा वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया। तत्पश्चात बयान स्वतंत्र गवाह भूरेलाल अंकित किया गया। स्वतंत्र गवाह के बयान के आधार पर मुकदमा में धारा–302 भा0दं0सं0 का लोप कर धारा–306 भा0दं0सं0 में तरमीम कर अग्रिम विवेचना धारा–147, 306 भा0दं0सं0 में प्रचलित की गयी। दिनांक 12.10.2017 को पर्चा सं0–2 में बयान स्वतंत्र गवाहान भूप सिंह, शेर सिंह, सुनील और रामगोपाल अंकित किये गये। दिनांक 17.10.2017 को पर्चा सं0–3 में बयान गवाहान ओमप्रकाश, रामनरेश, प्रमोद कुमार तथा भूरेलाल अंकित किये गये। जिसमें साक्षीगण द्वारा राजबहादुर की पुत्री कल्लो से रामसेवक के अवैध सम्बंध होने के कारण अभियुक्तगण के भय से रामसेवक द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया गया। दिनांक 18.10.2017 को पर्चा सं0–4 में नकल पंचायतनाम कर पंचनामा व मूल पी0एम0आर0 संलग्न सी0डी0 किया गया। दिनांक 27.10.2017 को पर्चा सं0–5 में अभियुक्तगण अभिनन्दन तथा राजकुमार द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण का पर्चा एस0आई0 शिशुपाल द्वारा किता किया गया। दिनांक 03.11.2017 को पर्चा सं0–6 में उच्च अधिकारियों के

आदेश पर विवेचना काईम ब्रांच कासगंज को स्थानांतरित की गयी। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा–नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया गया। नक्शा–नजरी पत्रावली पर कागज सं0–9अ के रूप में मौजूद है। जिसकी जरिये वी0सी0 कैमरा देखकर गवाह ने पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श–क–7** डाला गया।

21– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0–11 निरीक्षक राजू सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक–27.10.2017 को वह काईम ब्रांच कासगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को उसे मुकदमा अपराध संख्या–364/2017, धारा–306 भा0दं0सं0, थाना अमांपुर की विवेचना एस0पी0 साहब के आदेश पर प्राप्त हुयी थी। उसने पर्चा सं0–7 में विवेचना ग्रहण कर नकल आदेश एस0पी0 साहब अंकित किया। दिनांक–03.11.2017 को पर्चा सं0–8 में उसके द्वारा सी0ओ0 साहब के माध्यम से पूर्व किता केस डायरी मांगी गयी। दिनांक–08.11.2017 को पर्चा सं0–9 में अभियुक्त राजेश के रोबकार आत्मसमर्पण की कार्यवाही अंकित है। दिनांक–09.11.2017 को पर्चा सं0–10 मे पूर्व किता केस डायरी पर्चा सं0–1 लगायत पर्चा सं0–6 का अवलोकन किया गया। दिनांक–16.11.2017 को पर्चा सं0–11 में अभियुक्त्तगण रामौतार व पूरन देवी की बेड हेड टिकट नीलम हॉस्पीटल से प्राप्त कर संलग्न सी0डी0 की गयी। दिनांक–21.11.2017 को पर्चा सं0–12 मे बयान पंचान राजबहादुर, शैतान सिंह, कालीचरन, रूमान सिंह तथा रिषीपाल सिंह अंकित कर बयान गवाह श्रीमती नैना देवी, श्रीमती सावित्री देवी, मंजेश, बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक सी0सी0 मनवीर सिंह अंकित किये गये। दिनांक–30.11.2017 को पर्चा सं0–13 में अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश व राजकुमार के रिमाण्ड की कार्यवाही अंकित है। इसी दिनांक को पर्चा सं0 13ए में बयान मुल्जिमान अभिनन्दन, राजेश व राजकुमार अंकित कर बयान पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ0 रंजित सिंह अंकित किया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह हत्या नहीं है आत्महत्या है, क्योंकि हत्या में गले का डिटेक्शन करने पर लिगेचर मार्क ड्राई व ग्लिसनिंग नहीं होता है, वाइट बैण्ड सब्सटेनिस टिशू नहीं दिखते है, तत्पश्चात् डॉ0 विनकतेश मयूर मुतैना का बयान अंकित किया गया। जिसमें डॉक्टर ने अभियुक्तगण रामौतार व पूरन देवी को दिनांक 03.10.2017 सुबह 10:10 बजे से दिनांक 06.10.2017, 6:00 पी0एम0 तक अभियुक्त रामौतार का अस्पताल में भर्ती होना तथा पूरन देवी का दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 08.10.2017 तक अस्पताल में भर्ती रहना

बताया गया। दिनांक–06.12.2017 को पर्चा सं0–14 में बयान गवाह हरवीर सिंह, नीरज, अमर सिंह अंकित कर बयान स्वतंत्र गवाह दाताराम, महेशचन्द्र, ज्ञान सिंह, राजकुमार, रामदीन, प्रमोद कुमार अंकित किये गये। दिनांक–07.12.2017 को पर्चा सं0–15 में बयान गवाह कां0 भरत सिंह, कां0 रिंकू बाबू, एस0आई0 शिशुपाल सिंह, एस0आई0 अमित शर्मा, कां0 राजेश कुमार, कां0 चन्द्रेश कुमार, एस0ओ0 श्री पहलवान सिंह अंकित किये गये। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश व राजकुमार के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–196/17, धारा–306 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण रामौतार, पूरन देवी तथा बण्टू की नामजदगी गलत पाते हुये उनका नाम पृथक कर विवेचना में धारा–147 भा0दं0सं0 की घटोत्तरी कर विवेचना समाप्त की गयी। तत्पश्चात विवेचना मे क्षेत्राधिकारी सी0ओ0 साहब द्वारा नाम पृथक किये गये अभियुक्तगण की घटना के समय मोबाइल द्वारा लोकेशन ट्रेश करने के सम्बंध में आपत्ति गयी तो आपत्ति के निस्तारण हेतु एस0सी0डी0 सं0 1 लगायत एस0सी0डी0 6 में विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण द्वारा मोबाइल का उपयोग करना नहीं पाया गया और पूर्व प्रेषित आरोप पत्र का समर्थन किया गया। गवाह को पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र कागज सं0–4अ/1 लगायत 4अ/6 को जरिये कैमरा दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह आरोप पत्र उसने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर टंकित कराया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने आरोप पत्र व उस पर मौजूद अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श–8** डाला गया।

22– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0–12 उपनिरीक्षक अमित शर्मा पंचायतनामाकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.10.2017 को वह थाना अमांपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इसी दिनांक को हस्व सूचना हवाले रपट नम्बर 14 समय 07:10 बजे वादी श्री अमर सिंह पुत्र झब्बू सिंह निवासी जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज के फौती सूचना के आधार पर मृतक रामसेवक पुत्र अमर सिंह निवासी जारई थाना अमांपुर जिला कासगंज के पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु वह उपनिरीक्षक श्री अमित शर्मा, एस०ओ० श्री पहलवान सिंह, एस०आई० शिशुपाल सिंह, एस०आई० विजय कुमार, कां० रिंकू बाबू, कां० भरत सिंह तथा चालक उदयवीर सिंह मय फोर्स के साथ पंचायतनामा कार्यवाही घटनास्थल राजबहादुर के मकान ग्राम जारई पर आया। राजबहादुर के भूसा वाले कमरे में मृतक प्लास्टिक की रस्सी से फांसी पर लटका हुआ था।

जंगलों से देखा गया तो अंदर व बाहर से कुण्डी लगी हुयी थी। बाहर से लोहे का ताला लगा हुआ था, ताला तोड़कर तथा किवाड़ो को लातो से धाका मारकर खोलकर देखा गया तथा मृतक रामसेवक पुत्र अमर सिंह को रस्सी काटकर बरामदा में रखा गया, आस–पास परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। काफी भीड़ इकट्ठी थी। परिवार को संतवाना देते हुये, पंचान नियुक्त कर, पंचायतनामा की कार्यवाही अमल पर लायी गयी थी। जिसमें शैतान सिंह, राजबहादुर सिंह, कालीचरन, रूमाल सिंह तथा रिषीपाल सिंह पंचान नियुक्त किये गये थे। मृतक के दोनों पैर दक्षिण दिशा में तथा सिर उत्तर दिशा में, आंखे बंद, मुंह खुला हुआ, जीभ निकली हुयी बाहर थी। मृतक के गले में प्लास्टिक का फंदा लगा हुआ था, रस्सी गले में गढ़ी हुयी थी व चुभी हुयी थी। शव पर अन्य कोई चोट मौजूद नहीं थी। राय पंचान में मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से होना प्रतीत होती थी, मेरी राय में पंचो की राय के समान थी। मृत्यु को सही कारण जानने के लिए पंचों की राय पर मृतक रामसेवक का शव सील सर्वे मौहर कर, नमूना मौहर बनाकर, पोस्टमॉर्टम हेतु कां० रिंकू तथा भरत सिंह को मय 7 पुलिस प्रपत्र सुपुर्द किया था। पंचानामा की कार्यवाही सुबह 07:20 पर शुरू होकर 09:00 ए०एम० तक चली थी। पंचनामा व अन्य पुलिस प्रपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद पंचनामा कागज सं0–11अ/2 व 11अ/3 तथा पुलिस प्रपत्र 11अ/5 लगायत 11अ/8 को देखकर उस पर मौजूद अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिन पर कमशः **प्रदर्श–क–9, प्रदर्श–क–10, प्रदर्श–क–11, प्रदर्श–क–12, प्रदर्श–क–13** डाले गये। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सफाई साक्षी :–</u>

23– अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षी डी0डब्लू0–1 देवेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि जोगेन्द्र उसका भाई है मृतक रामसेवक भी उसका भाई थे। नैना देवी रामसेवक की पत्नी थी। सावित्री देवी उसकी मां है तथा अमर सिंह उसके पिता थे। वह सभी लोग एक ही मकान में रहते है। उसका भाई रामसेवक के दिमांग में गर्मी आ जाती थी इसलिए वह रात में घर से निकल कर चला जाता था। घटना वाली रात में भी घर से निकल कर चले गये थे। उसके भाई रामसेवक के घर से निकल कर चले जाने की जानकारी उन लोगों को रात में नहीं हो पाई। सुबह उन लोगों को जानकारी मिली कि उसके भाई रामसेवक ने राजबहादुर के भूसा वाले कमरे में अन्दर से कुन्डी

लगाकर फांसी लगा ली। सुबह पुलिस आई थी तब वह लोग पहुंच गये थे। पुलिसवालों ने किवाड़ तोड़ कर उसके भाई रामसेवक की लाश फंदे से उतारी थी। जब उसके भाई की लाश को कमरे से निकाला था तब वह, उसके बडे भाई जुगेन्द्र, मंजेश, मां व पिता मौजूद थे। गांव वालों ने रंजिश के कारण अभिनन्दन, राजकुमार, राजेश, पूरनदेवी, रामौतार, बन्टू के खिलाफ उनके बडे भाई जुगेन्द्र ने रिपोर्ट लिखायी। उनके भाई रामसेवक अच्छे थे। उनके भाई रामसेवक को मुल्जिमान ने उसके सामने कोई धमकी नहीं दी। वह अपने भाई जुगेन्द्र के साथ आया है। उपरोक्त लोगों ने उसके भाई के साथ कोई घटना कारित नहीं की। वह आज न्यायालय में बिना किसी दबाव के सही बात बता रहा है।

<u>अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क</u> :–

24– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि प्रश्नगत मामला चक्षुदर्शी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियुक्तगण नामित है। घटना का हेतुक वादी मुकदमा के भाई रामसेवक के अवैध सम्बन्ध अभियुक्त राजबहादुर की पुत्री कु0 कल्लो से थे, जिसकी जानकारी होने पर अभियुक्त राजबहादुर ने मृतक रामसेवक से चले जाने व जान से मारने की धमकी दी, किन्तु इसके बाद भी कु0 कल्लो छिपकर मृतक रामसेवक से मिलती रही। अभियुक्तगण मृतका को गांव छोडकर जाने व जान से मारने की धमकी देते थे । इसी कारण मृतक ने दिनांक 05.10.2017 की सुबह 3:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली , जिसकी पुष्टि तथ्य के साक्षीगण वादी मुकदमा जुगेन्द्र पी0 डब्लू0–1, नैना पी0डब्लू0–2, कालीचरन पी0डब्लू0–3, सावित्री पी0डब्लू0–4, शैतान सिंह पी0डब्लू0–5 एवं किशन लाल पी0डब्लू0–7 के साक्ष्य से होती है तथा उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की पुष्टि औपचारिक साक्षीगण की साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है। साक्षीगण की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u> :–

25– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुये अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये है कि प्रश्नगत मामला चक्षुदर्शी साक्ष्य का नहीं है अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विधि

अनुसार यदि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को एक–दूसरे से जोड़ने में असमर्थ रहता है अथवा अधिक समय अन्तराल रहता है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन साक्षीगण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कोई भी कड़ी संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। घटना का हेतुक साबित नहीं है।वादी मुकदमा जुगेन्द्र पी0 डब्लू0–1, नैना पी0डब्लू0–2, कालीचरन पी0डब्लू0–3, सावित्री पी0डब्लू0–4, शैतान सिंह पी0डब्लू0–5 एवं किशन लाल पी0डब्लू0–7 हितबद्ध साक्षी हैं, चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा पी0डब्लू0–8 मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। घटना दिनांक 05.10.2017 की रात 3:30 बजे की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलम्ब से दिनांक 08.10.2017 को 8:00 बजे दर्ज करायी गयी है, जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 5 किलो मीटर है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। सर्व प्रथम मृतक के पिता अमर सिंह द्वारा मृतक की फौती की सूचना **प्रदर्श क–4** दिनांक 05.10.2017 को अज्ञात में दी गयी है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 05.10. 2017 को 6.00 बजे उसके पुत्र रामसेवक ने रामबहादुर के मकान में, जिसमें भूसा भरा है, जिसमें प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ मिला है, जिसकी मृत्यु हो गयी है तथा पोस्टमार्टम कराये जाने की याचना की गयी है। उक्त फौती की सूचना में किसी भी अभियुक्त को नामित नहीं किया गया है तथा घटना के तीसरे दिन दिनांक 08.10.2017 को सोच विचारकर एवं समझकर वादी जुगेन्द्र सिंह द्वारा तहरीर प्रदर्श क–6 में मृतक की हत्या अभियुक्तगण अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, श्रीमती पूरन देवी एवं राजकुमार उर्फ छोटे द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी है। जबकि दौराने विवेचना में तीन अभियुक्तगण बन्टू, रामौतार एवं श्रीमती पूरन देवी की नामजदगी गलत पायी गयी है। मृतक द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर करना पाया गया है, जिस कारण धारा 147, 302 भा0दं0स0 का लोप किया गया है। धारा 306 भा0दं0सं0 में केवल तीन अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजेश एवं राजकुमार के विरूद्ध आरोप प्रेषित किया गया है। धमकी राजबहादुर द्वारा दिये जाने का कथन तहरीर व साक्ष्य में किया गया है, के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गयी है। अन्य अभियुक्तगण द्वारा कोई धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया गया है और ना ही घटना से पहले थाने पर कोई शिकायत की गयी है। धमकी कितने दिन पहले दी गयी थी, एफ.आई.

आर. में नहीं बताया है तथा साक्ष्य में सावित्री देवी द्वारा चार दिन पहले तथा शैतान सिंह एक माह पहले धमकी दिये जाने का कथन किया गया है, जो कि विरोधाभास है । स्वतंत्र गवाहान हरवीर व नीरज द्वारा मुल्जिमानों को भागते हुये देखे जाने का कथन किया गया है, को दिनांक 23.01.2025 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य से उन्मोचित कराया गया है। मृतक के गले में चोट फांसी के अलावा अन्य निशान अथवा चोट नहीं पायी गयी है। घटना की जानकारी का समय 3:30 बजे सुबह तहरीर व मुख्य परीक्षा में बताया है, जबकि जिरह में सुबह 6:30 बजे जानकारी होने का कथन किया गया है। मृतक को ले जाने के पश्चात उसे ढूँढने व बचाने का कोई प्रयास न किया जाना, किसी को घटना की बाबत न बताना, ना ही थाने पर सूचना दिया जाना, मामले को संदिग्ध बनाता है। आत्महत्या, दुष्प्रेरण व उकसाये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को मृत्यु पूर्व आत्महत्या करने के लिये उकसाया गया हो। साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, विरोधाभास है। बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। धारा 161 द0प्रं0सं0 के बयान व मुख्य परीक्षा में विरोधाभास है तथा धारा 161 द0प्र0स0 का बयाना विलम्ब से दर्ज कराया गया है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी जुगेन्द्र सिंह पी0डब्लू0–1 द्वारा जिरह पेज संख्या–2 पर अपने पिता अमर सिंह द्वारा घटना की सूचना कभी किसी थाने पर दिये जाने से इंकार किया गया है। जबकि अमर सिंह द्वारा प्रदर्श क–4 मृतक की फौती के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है जो पत्रावली पर **प्रदर्श क–4** है। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल/विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को धारा 306 भा0द0स0 के आरोपों से दोष मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयीं हैं :–

1- **Lallu Manjhi & Anr vs State Of Jharkhand on 7 January, 2003, Supreme Court, Equivalent citations: 2003 AIR - JHAR. H. C. R. 267**

The Law of Evidence does not require any particular number of witnesses to be examined in proof of a given fact. However, faced with the testimony of a single witness, the Court may classify the oral testimony into three categories, namely (i) wholly reliable, (ii) wholly unreliable, and (iii) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In the first two categories there may be no difficulty in accepting or discarding the testimony of the single witness. The difficulty arises in the third

category of cases. The court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial, before acting upon testimony of a single witness. (See - Vadivelu Thevan etc. v. State of Madras, AIR 1957 SC 614}.

2- **State of U.P vs Om Pal & Ors.2018(2) JIC Reports 295 (SC) (Diglot)] SUPREME COURT, Criminal Appeal No. 1213 of 2014, decided on 21st March, 2018**

Penal Code, 1860, Sections 302 and 34-Murder-Common intention-Con-viction by trial Court-Acquittal by High Court-Validity of- **Presence of alleged eye-witness at the place of incident doubtful-Because their behaviour was unnatural-** Eye-witnesses making contradictory statement regarding manner of assault-High Court rightly disbelieved the testimony of prosecution witness-High Court rightly acquitted accused persons-Appeal dismissed. [Paras 9 to 14]

On the other hand, the conduct and statements of PW2 (Dharmendra) who was stated to be an eyewitness do not inspire confidence for the reason that his depositions under Section 161, Cr.P.C. were quite different to what he stated before Court in his examination-in-chief. He could not even give a satisfactory reason for his presence at the time and place of occurrence. Furthermore, he did not choose to lodge complaint with the police by himself even though he had witnessed the occurrence.

The High Court, while appreciating the evidence of the three important witnesses i.e. PWs 1, 2 and 3, rightly disbelieved the presence of PWs 2 and 3 at the place of occurrence and discredited the evidence of P.W.1—complainant. Undoubtedly, the prosecution in its effort to establish the case with the support of evidences of PWs 1, 2 and 3, has miserably failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt.

3- **Sanju @ Sanjay Singh Sengar vs State of Madhya Pradesh, Supreme Court, Criminal Appeal No. 572 of 2002 (arising out of SLP (Crl.) No. 6656 of 2001). D/d. 1.5.2002.**

Accused told the deceased to go and die - Deceased committing suicide on third day of quarrel - Cannot be held that and suicide was direct result of quarrel - There was enough time for deceased to think over and reflect - Charge of abetment against accused quashed. 1995 Supp. (3) SCC 438 relied.

In **Swamy Prahaladdas v. State of M.P. & Anr. , 1995 Supp. (3) SCC 438,** the appellant was charged for an offence under Section 306 I.P.C. on the ground that the appellant during the quarrel is said to have remarked the deceased 'to go and die' . This Court was of the view that mere words uttered by the accused to the deceased 'to go and die' were not even prima facie enough to instigate the deceased to commit suicide.

Reverting to the facts of the case, both the courts below have erroneously accepted the prosecution story that the suicide by the deceased is the direct result of the quarrel that had taken place on 25th July, 1998 wherein it is alleged that the appellant had used abusive language and had reportedly told the deceased 'to go and die'. For this, the courts relied on a statement of Shashi Bhushan, brother of the deceased, made under Section 161 Cr.P.C. when reportedly the deceased, after coming back from the house of the appellant, told him that the appellant had humiliated him and abused him with filthy words. The statement of Shashi Bhushan, recorded under Section 161 Cr.P.C. is annexed as annexure P-3 to this appeal and going through the statement, we find that he has not stated that the deceased had told him that the appellant had asked him 'to go and die'. Even if we accept the prosecution story that the appellant did tell the deceased 'to go and die', that itself does not constitute the ingredient of 'instigation'. The word 'instigate' denotes incitement or urging to do some drastic or unadvisable action or to stimulate or incite. Presence of mens rea, therefore, is the necessary concomitant of instigation. It is common knowledge that the words uttered in a quarrel or in a spur of the moment cannot be taken to be uttered with mens rea. It is in a fit of anger and emotional. Secondly, the alleged abusive words, said to have been told to the deceased were on 25th July, 1998 ensued by quarrel. **The deceased was found hanging** on 27th July, 1998. Assuming that the deceased had taken the abusive language seriously, he had enough time in between to think over and reflect and, therefore, it cannot be said that the abusive language, which had been used by the appellant on 25th July, 1998 drived the deceased to commit suicide. Suicide by the deceased on 27th July, 1998 is not proximate to the abusive language uttered by the appellant on 25th July, 1998. The fact that the deceased committed suicide on 27th July, 1998 would itself clearly pointed out that it is not the direct result of the quarrel taken place on 25th July, 1998 when it is alleged that the appellant had used the abusive language and also told the deceased to go and die. This fact had escaped notice of the courts below.

Viewed from the aforesaid circumstances independently, we are clearly of the view that the ingredients of abetment' are totally absent in the instant case for an offence under Section 306 Indian Penal Code It is in the statement of the wife that the deceased always remained in a drunkened condition. It is a common knowledge that excessive drinking leads one to debauchery. It clearly appeared, therefore, that the deceased was a victim of his own conduct unconnected with the quarrel that had ensued on 25th July, 1998 where the appellant is stated to have used abusive language. Taking the totality of materials on record and facts and circumstances of the case into consideration, it will lead to irresistible conclusion that it is the deceased and he alone, and done else, is responsible for his death.

4- **Mahendra Awase vs State of Madhya Pradesh, Supreme Court, CRIMINAL APPEAL NO. 221 OF 2025, (SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO. 11868 OF 2023)**

Section 306 of the IPC reads as under :-

"306. Abetment of suicide. If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."

Section 107 of the IPC reads as under:-

"107. Abetment of a thing.- A person abets the doing of a thing, who-

First. - Instigates any person to do that thing; or

Secondly. - Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or

Thirdly. - Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing."

As is clear from the plain language of the Sections to attract the ingredient of Section 306, the accused should have abetted the commission of a suicide. A person abets the doing of a thing who Firstly - instigates any person to do that thing or Secondly - engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing or Thirdly- intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

In Swamy Prahaladdas vs. State of M.P. and Another, [1995 Supp (3) SCC 438], the appellant remarked to the deceased that 'go and die' and the deceased thereafter, committed suicide. This Court held that:-

"3. ...Those words are casual nature which are often employed in the heat of the moment between quarrelling people. Nothing serious is expected to follow thereafter. The said act does not reflect the requisite 'mens rea' on the assumption that these words would be carried out in all events. ..."

In Madan Mohan Singh vs. State of Gujarat and Another, (2010) 8 SCC 628, this Court held that in order to bring out an offence under Section 306 IPC specific abetment as contemplated by Section 107 IPC on the part of the accused with an intention to bring about the suicide of the person concerned as a result of that abetment is required. It was further held that the intention of the accused to aid or to instigate or to abet the deceased to commit suicide is a must for attracting Section 306.

In **Amalendu Pal alias Jhantu vs. State of West Bengal, (2010) 1 SCC 707,** it was held as under:-

"12. Thus, this Court has consistently taken the view that before holding an accused guilty of an offence under Section 306 IPC, the court must scrupulously examine the facts and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether the cruelty and harassment meted out to the victim had left the victim with no other alternative but to put an end to her life. It is also to be borne in mind that in cases of alleged abetment of suicide there must be proof of direct or indirect acts of incitement to the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in terms of Section 306 IPC is not sustainable.

[Emphasis supplied]

M. Mohan vs. State, (2011) 3 SCC 626 followed Ramesh Kumar vs. State of Chhattisgarh, (2001) 9 SCC 618, wherein it was held as under :-

This Court in SCC para 20 of Ramesh Kumar has examined different shades of the meaning of "instigation". Para 20 reads as under: (SCC p. 629) "20. Instigation is to goad, urge forward, provoke, incite

or encourage to do 'an act'. To satisfy the requirement of instigation though it is not necessary that actual words must be used to that effect or what constitutes instigation must necessarily and specifically be suggestive of the consequence. Yet a reasonable certainty to incite the consequence must be capable of being spelt out. The present one is not a case where the accused had by his acts or omission or by a continued course of conduct created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide in which case an instigation may have been inferred. A word uttered in the fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow cannot be said to be instigation."

In the said case this Court came to the conclusion that there is no evidence and material available on record wherefrom an inference of the appellant- accused having abetted commission of suicide by Seema (the appellant's wife therein) may necessarily be drawn." Thereafter, this Court in Mohan (supra) held :-

In the of **Mohan (supra)** held:-

The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by this Court are clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he/she committed suicide."

[Emphasis supplied]

20- This Court has, over the last several decades, repeatedly reiterated the higher threshold, mandated by law for Section 306 IPC [Now Section 108 read with Section 45 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023] to be attracted. They however seem to have followed more in the breach. Section 306 IPC appears to be casually and too readily resorted to by the police. While the persons involved in genuine cases where the threshold is met should not be spared, the provision should not be deployed against individuals, only to assuage the immediate feelings of the distraught family of the deceased. The conduct of the proposed accused and the deceased, their interactions and conversations preceding the unfortunate death of the deceased should be approached from a practical point of view and not divorced from day-to-day realities of life. Hyperboles employed in exchanges should not, without anything more, be glorified as an instigation to commit suicide. It is time the investigating agencies are sensitised to the law laid down by this Court under Section 306 so that persons are not subjected to the abuse of process of a totally untenable prosecution. The trial courts also should

exercise great caution and circumspection and should not adopt a play it safe syndrome by mechanically framing charges, even if the investigating agencies in a given case have shown utter disregard for the ingredients of Section 306.

26– अब यह देखा जाना है कि– क्या दिनांक 05.10.2017 को समय करीब 03:00 बजे स्थान ग्राम जारई थाना अमॉपुर में अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार व राजेश ने वादी मुकदमा जुगेन्द्र सिंह यादव के भाई रामसेवक को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण किया और उस दुष्प्रेरण में वादी के भाई रामसेवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कारित की अथवा नहीं ?

<u>साक्ष्य का मूल्यांकन/विश्लेषण</u>

27– अब पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनता एवं सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

28– समग्र परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार एवं राजेश के विरूद्ध अधिरोपित धारा 306 भा0दं0सं0 के आरोप के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना है।

29– यहां भारतीय दण्ड संहिता–1860 की धारा 306 के उपबन्धों का वर्णन करना समीचीन होगा। धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता यह उपबंधित करता है कि–

<u>धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>धारा– 306 भारतीय दण्ड संहिता में आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु दण्डः</u>

"यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा – 107 भारतीय दण्ड संहिता में किसी बात के दुष्प्रेरणा का वर्णन किया गया है जो निम्नवत हैरू

कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है जो :–

(1) किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है,

(2) उस चीज को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ शामिल होना, यदि उस साजिश के अनुसरण में और उस चीज को करने के लिए कोई कार्य या अवैध चूक होती हैश्र या

(3) जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra AIR 1984 SC 1622 में पंचशील के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :–

A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and 'must be or should be proved' as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade & Anr. v. State of Maharashtra(') where the following observations were made: "Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say. they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

These five golden principles, if we may say so, constitute the panchsheel of the proof of a case based on circumstantial evidence.

(26) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamalakar vs- State of Karnataka in Criminal Appeal No-1485 of 2011 [decided on 12-10-2023] के मामले में धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया है जो निम्नवत है :–

"Section 306 IPC penalizes abetment of commission of suicide- To charge someone under this Section] the prosecution must prove that the accused played a role in the suicide- Specifically, the accused's actions must align with one of the three criteria detailed in Section 107 IPC- This means the accused either encouraged the individual to take their life] conspired with others to ensure the person committed suicide] or acted in a way (or failed to act) which directly resulted in the person's suicide-

Ramesh Kumar v- State of Chhattisgarh 2001(4) SCR 247 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "instigation" शब्द को निम्नवत परिभाषित किया है :– Instigation is to goad, urge forward, provoke, incite or encourage to do "an act"- To satisfy the requirement of instigation though it is not necessary that actual words must be used to that effect or what constitutes instigation must necessarily and specifically be suggestive of the consequence- Yet a reasonable certainty to incite the consequence must be capable of being spelt out- The present one is not a case where the accused had by his acts or omission or by a continued course of conduct created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide in which case an instigation may have been inferred- A word uttered in the fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow cannot be said to be instigation-"

M- Mohan v- State (2011) 3 SCC 626 के बाद में धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के घटकों का वर्णन किया गया है जो निम्नवत है :–

In Chitresh Kumar Chopra v- State (Govt. of NCT of Delhi) [(2009) 16 SCC 605: (2010) 3 SCC (Cri) 367] the Apex Court dealt with the dictionary meaning of the word "instigation" and "goading"- The Court opined that there should be intention to provoke, incite or encourage the doing of an act by the latter- Each person's suicidability pattern is different from the others- Each person has his own idea of selfesteem and self respect- Therefore, it is impossible to lay down any

straitjacket formula in dealing with such cases- Each case has to be decided on the basis of its own facts and circumstances.

Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing- Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained.

The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by Apex Court are clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he/she committed suicide."

30– अतः उक्त विधिव्यवस्थाओं के गहन परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता हेतु आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जाना आवश्यक तत्व है।

31– जहॉ तक उक्त आरोपों को साबित करने का सम्बंध है, "**साबित**" शब्द को धारा 3 साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है कि–

> ***"साबित"***– *कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।*

32– इस निमित्त विधि निर्णय **उड़ीसा राज्य प्रति बनबिहारी महापात्र व एक अन्य, 2022 (1) जे.आई.सी. रिपोर्ट्स 274 (एस.सी.) (द्विभाषी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अभियुक्त को निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह युक्तयुक्ति सदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता।

33– इस निमित्त विधि निर्णय **नासिर शेलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 489** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है. जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है,

उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

34– विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

35– विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

<u>विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

36– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 05.10.2017 की सुबह करीब 3:30 बजे की बताई गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.10.2017 को समय 08:30 बजे पर थाना कासगंज पर पंजीकृत करायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर बताई गयी है, परन्तु <u>एफ.आई.आर. विलम्ब से तीसरे दिन दर्ज करायी गयी है,</u> जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया, जो इस तथ्य की ओर इशारा इंगित करता है कि <u>वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट कानूनी राय मशविरा प्राप्त करके सोच विचार कर अंकित करायी है,</u> जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। जबकि अभियेाजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत घटना में वादी के भाई की मृत्यु कारित हुई है, ऐसी में वादी पक्ष का परेशान होना स्वाभाविक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है।

37– तथ्य के साक्षी एवं वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप मे साबित किया गया है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में तहरीर प्रथम सूचना

रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** के अवलोकन से विदित है कि तहरीर में प्रश्नगत घटना दिनांक 05.10.2017 की सुबह 3:30 बजे की होना अंकित है, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** दिनांक 08.10.2027 को किता की गयी है अर्थात घटना की रिपोर्ट घटना के तीसरे दिन दर्ज करायी गयी है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** में घटना स्थल से थाने की दूरी 5 किलामीटर अंकित है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत घटना में वादी के भाई की मृत्यु हुई है। उक्त परिस्थितियों में वादी पक्ष का परेशान होना स्वाभाविक है। मात्र विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध नहीं माना जा सकता। विलम्ब का यदि पर्याप्त संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो सोच विचार कर विचार विमर्श कर एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता एवं सत्यता को संदेहास्पद बना देता है।

38– उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी मुकदमा सहित अन्य तथ्य के सभी साक्षीगण ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबन्धित है, जिनसे विधि का सम्यक ज्ञान होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और यह मानवीय स्वभाव का नैसर्गिक हिस्सा है कि किसी परिवारीजन के साथ किसी अप्रिय घटना के घटित होने परिवारीजन का परेशान होना स्वाभाविक है।

39– प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से अंकित कराये जाने व उस परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध विधि निर्णयजों **रवि प्रति बद्रीनारायण व अन्य, (2011) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) एस.सी. 751, ओम प्रकाश प्रति हरियाणा राज्य, 2011 (6) सुप्रीम 244 एवं शेर सिंह प्रति हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 373** में समेकित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

"यह बेहतर ढंग से स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने में हुए विलम्ब वादी के कथानक पर आधार नहीं हो सकता है। भारतीय परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि दुर्घटना के तत्काल पश्चात एक सामान्य जन सबसे पहले पुलिस थाने पहुंचे। किन्तु पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क–4** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में मृतक के पिता अमर सिंह द्वारा सर्वप्रथम थाना अमांपुर पर घटना के दिनांक 05.10.2017 की ही प्रार्थना पत्र, अपने पुत्र मृतक रामसेवक की मृत्यु के सम्बन्ध में एवं उसका पोस्टमार्टम कराये जाने की बाबत दिया गया है। इस प्रकार प्राथमिकी

दर्ज करने में देरी, पीड़ित को न्याय से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है।''

40— BHOOKAN vs STATE OF U.P. [2020 (110) ACC 729] (ALLAHABAD HIGH COURT) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :—

Delayed FIR- Delay explained- If delay in lodging FIR has been explained from the evidence on record, no adverse inference can be drawn against prosecution merely on the ground that FIR was lodged with delay-There is no hard and fast rule that any length of delay in lodging FIR would automatically render the prosecution case doubtful.

So far as the question of delay in lodging FIR is concerned, it is well settled, if delay in lodging FIR has been explained from the evidence on record, no adverse inference can be drawn against prosecution merely on the ground that the FIR was lodged with delay. There is no hard and fast rule that any length of delay in lodging FIR would automatically render the prosecution case doubtful.

मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये गयी है। सम्पूर्ण अभियाजन कथानक त्यक्त नहीं किया जा सकता। मामले में प्रस्तुत तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

<u>हितबद्ध साक्षी के सम्बन्ध में</u>

41— बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत मामले में साक्षी जुगेन्द्र पी0डब्लू0—1, नैना देवी पी0डब्लू0—2, कालीचरन पी0डब्लू0—3, सावित्री देवी पी0डब्लू0—4, शैतान सिंह पी0डब्लू0—5, मंजेश उर्फ राजेन्द्र पी0डब्लू0—8 हितबद्ध साक्षी हैं। किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है चक्षुदर्शी साक्षीगण से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य भी होती है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, मसालती बनाम उ.प्र.राज्य</u>** में यह अवधारित किया गया है कि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिए। किन्तु मात्र हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

In Masalti Vs. State of U.P. ., a four-Judge Bench of Apex Court had observed that though the evidence of an interested or partisan witness has to be weighed by the Court very carefully but it would be unreasonable to contend that evidence given by a witness should be discarded only on the ground that it is evidence of a partisan or interested witness. The mechanical

rejection of such evidence on the sole ground that it is partisan would invariably lead to failure of justice. (Also see: Guli Chand & Ors. Vs. State of Rajasthan and State of Punjab Vs. Jagir Singh, Baljit Singh & Karam Singh)

42— तथ्य के प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य, हितबद्ध होने की स्थिति में साबधानी पूर्वक विवेचन किया जाना अपेक्षित है। मात्र हितवद्ध साक्षी होने अथवा स्वतंत्र साक्षी पेश न किये जाने के आधार पर उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1952 सुप्रीम कोर्ट 54.** अतः मात्र हितवद्ध साक्षी होने अथवा स्वतंत्र साक्षी पेश न किये जाने के आधार पर उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना आपेक्षित है। यदि प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय पायी जाती है तो दोषसिद्ध की जा सकती है। अतः तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना समीचीन है।

<u>घटना स्थल पर चक्षुदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति/मौजूदगी के सम्बन्ध में :—</u>

43— बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि घटना स्थल पर चुक्षदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति के सम्बन्ध अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। जबकि अभियोजन की ओर से विद्धान जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना स्थल पर चक्षुदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति के सम्बन्ध में मामूली विरोधाभास है, जिसका कोई लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि रामसेवक (मृतक) को ले जाते हुये श्रीमती सावित्री, श्रीमती नैना देवी एवं मंजेश ने देखा और अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, जबर सिंह, रामौतार, पूरनदेवी, छोटे उर्फ राजकुमार ने अपने घर ले जाकर रामसेवक की हत्या कर घर में लटकाकर उसे बन्द कर भाग गये। साक्षी पी0डब्लू0—2 नैनादेवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके पति को <u>जबरन अभिन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, छोटे, पूरन देवी खींचकर</u> ले गये। राजबहादुर ने अपने घर में ले जाकर हत्या कर दी। यह सभी हत्या करने के बाद घर से भाग गये। घर से भागते समय <u>हरवीर व नीरज</u> ने देखा है। जिरह पेज संख्या—2 पर कथन किया है कि उसके पति की हत्या के वारे में उसे जब पुलिस आई तब पता चला, जब पुलिस आ गये तब पूरे

गांव में हल्ला हो गया कि रामसेवक की हत्या हो गई है। जब पुलिस आ गयी तब उसे व उसकी सास को पता चला कि रामसेवक की हत्या हो गयी है। साक्षी पी0डब्लू0–4 सावित्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि रामसेवक को जब उपरोक्त मुल्जिमान राजबहादुर के घर ले जा रहे थे तो उसने यह समझा कि यह लोग बातचीत करने को ले जा रहे हैं। जब रामसेवक काफी देर तक राजबहादुर के घर में से लौटकर नहीं आया तो उसने रामसेवक को देखने अपने लडके मंजेश को भेजा तो मंजेश के सामने मुल्जिमान उपरोक्त अपने घर की कुन्डी बाहर से लगाकर भाग गये थे। जिरह पेज संख्या–2 के अंत में कथन किया है कि घटना वाले दिन वह व नैना देवी 3:30 बजे शौंच करने गये थे, जोगेन्दर पांच बजे शौंच करने गये, उसके पति अमर सिंह 7 बजे शौच करने गये, मंजेश 5 बजे शौंच करने गये, सीमा घटना वाले दिन कब शौंच करने गई उसे नहीं मालूम। रामसेवक की हत्या के बारे में करीब 6 बजे पता चला था। जब पुलिस आ गई थी। थाने पर सूचना देने कौन गया था उसे नहीं मालूम। सुबह 6 बजे उनके पूरे परिवार को पता चला कि रामसेवक की हत्या राजबहादुर के घर में हई । सुबह पुलिस के आने पर वह लोग मंजेश, जोगेन्दर, अमर सिंह, सीमा, गांव के बहुत से लोग राजबहादुर के घर पर गये। उसके बेटे को मुल्जिमान ले गये थे तो वह बचाने नहीं गई। कोई भी बचाने नहीं गया था, किसी को कुछ पता नहीं चला था। जब वह राजबहादुर के घर पहुॅची तब पुलिस वहॉ पर मौजूद थी, उसके पहुंचने के कितनी देर पहले पुलिस आयी उसे नहीं पता। मुल्जिमान द्वारा उसके बेट रामसेवक को मारने पीटते उसने नहीं देखा। अगर देखा होता तो उन्हें बताते। उसके सभी घर वालों के सुबह 6 बजे हत्या के बारे में पता चला। जिरह पेज संख्या–4 पर कथन किया है कि उसके बेटे को मुल्जिमान द्वारा ले जाते हुये उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं देखा। रात 3:30 बजे के बाद पुलिस आयी थी। तब तक वह रामसेवक के गायव होने की सूचना थाने देने नहीं गये। उससे पहे तक वह राजबहादुर के घर नहीं गयी थी। उसे बेटे के गायव होने की जानकारी नही हो पायी थी। जब पुलिस सुबह आयी तब उसे पता चला कि उसके बेटे के साथ घटना कारित हुई है। साक्षी पी0डब्लू0–8 मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है एवं मृतका का बडा भाई है, जिसके द्वारा मुल्जिमान को उसके भाई जबरन खींचकर ले जाते हुये साबित्री व नैना के साथ मुल्जिमानों को देखे जाने का कथन किया गया है, ने अपनी मुख्य

परीक्षा में कथन किया है कि घटना वाली रात्रि को वह घर पर सो रहा था, उसने अभिन्दन, बन्टू, राजेश, राजबहादुर, राजकुमार, रामौतार व पूरनदेवी को उसके भाई रामसेवक जबरन खींचकर राजबहादुर के घर ले जाते नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने भाई को मुल्जिमान द्वारा ले जाते देखे जाने से स्पष्ट इंकार किया है। तहरीर, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा जुगेन्द्र पी0डब्लू0–1 द्वारा जबर को भी अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया है, जबकि बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर पेज संख्या–2 में स्वीकार किया गया है कि जबर सिंह की मृत्यु घटना से करीब 10 साल पहले हो गयी थी। उसने जबर सिंह के खिलाफ कोई रिपोर्ट नही लिखाई है। इस प्रकार अपनी मुख्य परीक्षा से विपरीत जिरह में कथन किया है एवं साक्ष्य दिया है। मृतक जबर सिंह को भी घटना कारित करने में दर्शाया गया है। जबकि उसकी घटना से 10 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त दौरान विवेचना बन्टू, रामौतार एवं पूरन देवी की नामजदगी गलत पायी गयी। अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र 36अ अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0स0 उक्त अभियुक्तगण को तलब करने हेतु दिया गया जो दिनांक 18.03.2025 को निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार घटना में अभियुक्तगण की दर्शायी गयी संख्या में भी विरोधाभास है। धारा 147, 302 भा0द0सं0 का लोप दौरान विवेचना नामजदगी गलत पाये जाने के कारण किया जा चुका है। गवाह हरीवीर व नीरज जिनके द्वारा मुल्जिमानों को भागते हुये देखे जाने का कथन किया गया है, को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, को दिनांक 23.01.2025 को अभियोजन द्वारा उन्मोचित कराया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में 3:30 बजे रात्रि को मुल्जिमान द्वारा मृतक को जबरन खीचकर ले जाये जाने का कथन किया गया है किन्तु उसे बचाये जाने अथवा ढूंढने का कोई प्रयास न किया जाना, अभियुक्तगण के घर न जाना ना ही पुलिस को सूचना देना, अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। अमर सिंह मृतक के पिता द्वारा अज्ञात में तहरीर **प्रदर्श क–4** दी गयी, जिसमें किसी अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया है, से विपरीत पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र द्वारा जिरह पेज संख्या–2 में कथन किया है कि उसके पिता घटना की सूचना देने थाने नहीं गये। पुलिस अपने आप आयी थी। तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–2 नैनादेवी द्वारा पुलिस के आने पर घटना का उसे व उसकी सास को पता चलना कहा है। पुलिस द्वारा राजबहादुर की कुटिया का ताला तोडना व दरवाजा खोलने का कथन किया गया

है, किन्तु उक्त ताले की कोई फर्द नहीं बनाई गयी और ना ही उक्त ताले को न्यायालय में पेश किया गया है। इस साक्षी द्वारा धारा 161 द0प्र0स0 के बयान से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी अमित शर्मा पी0डब्लू0–12 द्वारा अपनी जिरह पेज संख्या–3 पर कथन किया गया है कि मुख्य दरवाजे की अन्दर से कुन्डी लगे होने के कारण दरवाजे को तोडकर मृतक के गले में प्लास्टिक की रस्सी के फंदे को काट कर उतारा गया था। मृतक के गले से जो फन्दे की प्लास्टिक की रस्सी मिली थी वह आज न्यायालय में मौजूद नहीं है। उक्त रस्सी की न तो फर्द बनाई गयी है और ना ही न्यायालय में पेश किया गया है। साक्षी पी0डब्लू0–4 सावित्री द्वारा हत्या के बारे में सुबह 6 बजे पता चलने का कथन किया गया है तथा बेटे के गायव न होने की जानकारी न होने का कथन किया है। इस प्रकार तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–4 सावित्री देवी जो मृतक की मां है, श्रीमती नैना देवी पी0डब्लू0–2 जो मृतक की पत्नी एवं एवं मंजेश पी0डब्लू0–8 जो मृतक का बडा है, की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं आखिरी बार मुल्जिमान द्वारा जबदस्ती रामसेवक को खींचकर ले जाये जाने एवं उक्त साक्षीगण द्वारा देखे जाने की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा उक्त साक्षीगण घटना चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियाजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

<u>घटना का हेतुक :–</u>

44– बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्ततु किया गया है घटना का हेतु मृतक रामसेवक व कल्लो के मध्य अवैध/नाजायज सम्बन्ध होना एवं रामसेवक को राजबहादुर द्वारा गांव छोडकर चले जाने की धमकी दिया जाना और न जाने पर जिन्दा नहीं छोड़ेगे की धमकी दिया जाना कहा गया है। किन्तु अवैध सम्बन्ध के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है तथा धमकी दिये जाने की साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से विद्धान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि राजबहादुर द्वारा रामसेवक को उसकी पुत्री कल्लो से नाजायज सम्बन्ध होने के कारण मृतक को धमकी दी गयी तथा हत्या कारित की गयी है। जहॉ घटना का हेतुक का प्रश्न है। साक्षी जुगेन्द्र वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसकी गांव की कु0 कल्लो पुत्री राजबहादुर और उसके भाई रामसेवक में आपसी सम्बन्ध थे और एक दूसरे से चुपकर मिलते थे, राजबहादुर और छोटे सिंह उर्फ राजकुमार ने

उसके भाई रामसेवक से कहा कि वह गांव छोडकर चला जाये और यदि नहीं गया तो उसे जिन्दा नहीं छोडेंगे। साक्षी नैनादेवी पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी जिरह पेज संख्या–3 में कथन किया गया है कि रामसेवक व कल्लो के नाजायज सम्बन्धों के बारे में उसे नहीं मालूम। साक्षी सावित्री पी0डब्लू0–4 ने अपनी जिरह पेज संख्या–4 में कथन किया है कि उसने कल्लो को रामसेवक के साथ अपनी आंखों से अवैध सम्बन्ध बनाते हुये नहीं देखा था। "राजबहादुर ने खुद बताया था कि रामसेवक के उनकी बेटी के साथ अवैध सम्बन्ध हैं।" साक्षी मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह पी0डब्लू0–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके भाई रामसेवक का राजबहादुर की लड़की कल्लो से अवैध प्रेम सम्बन्ध थे अथवा नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि कल्लो से अवैध प्रेम सम्बन्धों को लेकर राजबहादुर ने उसके भाई रामसेवक को गांव छोड़ने अन्यथा जिन्दा न छोडने की कहकर धमकाया हो। उसे जानकारी नहीं है कि कल्लो व रामसेवक छिपकर आपस में मिलते जुलते हों। जिरह में सुझाव दिये जाने पर कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि रामसेवक का उसके गांव के राजबहादुर की लडकी से प्रेम सम्बन्ध है। जहॉ सीधी या चक्षुदर्शी साक्ष्य हो वहॉ मोटिव/हेतुक गौंण हो जाता है। किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्य में घटना का मोटिव जहॉ दर्शाया गया हो को साबित करना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में दर्शाया गया मोटिव अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। रंजिश एक दोधारी तलवार है जिसका प्रयोग घटना कारित किये जाने अथवा रंजिशन फंसाये जाने का आधार हो सकता है। घटना का हेतुक अवैध सम्बन्ध कहा गया है, किन्तु अवैध सम्बन्ध के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है। कि कब, कहॉ, कैसे, किस समय व दिनांक को नहीं बताया गया है, अपितु जिरह में जानकारी होने पर एवं अवैध सम्बन्धों से धारा 161 द0प्र0सं0 में इंकार किया गया है।

<u>धारा 161 दं0प्र0सं0 विलम्ब से दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

45– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अत्यन्त विलम्ब से दर्ज कराया गया है, जिसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि धारा 161 दं0प्र0सं0 समय से दर्ज किये गये हैं।

46— Srikant Srivastava vs State of Uttar Pradesh, Cr. Misc. App. No, 3626 of 1981; July 20, 1984. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि—

The investigating officer must record the statements of eye witnesses of the occurrence at the earliest opportunity after the registration of the case at the police Station and if he deliberately defers to record their statements for considerable long period after reaching the place of occurrence and keeps himself busy in trivial matters, the evidentiary value of the statements of witnesses so recorded subsequently is much diminished so much so that even the presence of such witnesses at the place of occurrence becomes doubtful as the complainant gets an opportunity to procure witnesses during the interval in support of his case. To ensure confidence, the Investigation must be above board. It must be prompt, fair and impartial. If the Investigating Officer deliberately avoids to record the statements of eye witnesses with promptness, the Investigation becomes suspect and tainted and it does not inspire confidence at all and the noble purpose of investigation becomes frustrated.

47— Ram Kumar Pande vs State of Madhya Pradesh, AIR 1975 Supreme Court 1026 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि —

F.I.R. Omission of important facts Effect. (Evidence Act (1872), Section 11). No doubt, an F.I.R. is a previous statement which can, strictly speaking, bo only used to corroborate or contradict the maker of it. But omissions of important facts, affecting the probabilities of the case, are relevant under Section 11 of the Evidenc Act in judging the veracity of the prosecution case.

48— Guman Singh vs State of Rajasthan, 2019 SAR (Criminal) 816 Supreme Court में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि—

Statements of PWS, under Section 161 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ("the Code", for short), were recorded by the SHO and the Investigating Officer three days after the date of occurrence . This delay is substantial and assumes some importance as it has been alleged that the FIR has been back dated and was never sent to the Magistrate as required vide Section 157 of the Code.

49— उक्त के सम्बन्ध में केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि प्रश्नगत **घटना दिनांक 05.10.2017 की सुबह की है,** जिसकी तहरीर प्रथम सूचना **रिपोर्ट 08.10.2017 को 08:30 बजे दर्ज करायी गयी है** और साक्षीगण

श्रीमती नैना देवी, श्रीमती सावित्री एवं मंजेश जिन्हें घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है के बयानात अन्तर्गत **धारा 161 दं0प्र0सं0 दिनांक 21.11.2017 को घटना एक माह सोलह बाद दर्ज किये गये है,** जो कि अत्याधिक विलम्ब से है। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 को अत्यधिक विलम्ब से दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कोई यथोचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरवीर एवं नीरज जिन्हें घटना का चश्मदीद साक्षीगण बताया गया है को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तथा धारा 161 द0प्र0स0 के साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे कथित साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

<u>तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास के सम्बन्ध में :–</u>

50– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर तात्विक विरोधाभास है, जो मामले के मूल तक जाते है और अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाते हैं। जबकि अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगण की साक्ष्य में मामूली एवं छोटे मोटे विरोधाभास हैं जो स्वाभाविक हैं तथा विवेचना में हुई त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय नहीं है कि पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 का समर्थन किया है तथा सौर ऊर्जा की रोशनी में सावित्री, नैनादेवी एवं मंजेश द्वारा रामसेवक का अपने घर ले जाते हुये देखो जाने तथा मारपीट कर रस्सी से फांसी लगाकर लटका दिये जाने का कथन किया है, जबकि नैना देवी पी0डब्लू0–2 जिसे घटना का चुक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है और मृतक की पत्नी है, ने अपनी जिरह पेज संख्या–2 पर कथन किया है कि उसके पति की हत्या के बारे में उसे जब पुलिस आई तब पता चला, जब पुलिस आ गयी तब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि रामसेवक की हत्या हो गयी। पी0डब्लू0–4 सावित्री जो कि मृतक की मां है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके गांव के ही अभिनन्दन, बन्टू, राजेश, रामौतार, राजकुमार उर्फ छोटे और पूरनदेवी रास्ते में से रामसेवक को जबरन खींच कर ले गये। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा रामसेवक को रास्ते में से खींच कर राजबहादुर के घर में ले जाते हुए सौर उर्जा की रोशनी में उसने, नैना देवी तथा मंजेश ने देखा था। उपरोक्त अभियुक्तगण ने रामसेवक को राजबहादुर के घर में ले जाकर फांसी पर लटका कर उसकी हत्या कर दी।

रामसेवक को जब उपरोक्त मुल्जिमान राजबहादुर के घर ले जा रहे थे तो उसने यह समझा कि यह लोग बातचीत करने को ले जा रहे है। जब रामसेवक काफी देर तक राजबहादुर के घर में से लौट कर नहीं आया तो उसने रामसेवक को देखने अपने दूसरे लडके मंजेश को भेजा तो मंजेश के सामने मुल्जिमान उपरोक्त अपने घर की कुन्डी बाहर से लगाकर भाग गये थे। जबकि जिरह पेज संख्या–3 पर कथन किया है कि रामसेवक की हत्या के बारे में करीब 6 बजे पता चला। जब पुलिस आ गयी। थाने पर सूचना देने कौन–कौन गया था उसे नहीं मालूम। सुबह 6 बजे उसके पूरे परिवार को पता चला कि रामसेवक की हत्या राजबहादुर के घर में हुई है तथा जिरह पेज संख्या–4 पर कथन किया है कि उसके बेटे को मुल्जिमान द्वारा ले जाते हुये उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं देखा था। रात साढ़े तीन बजे के बाद सुबह पुलिस आयी तब तक रामसेवक की गायब होने की सूचना देने वह थाने नहीं गये थे। सुबह साढ़े तीन बजे जागने के बाद पुलिस आयी, उससे पहले तक वह राजबहादुर के घर नहीं गयी थी। उसे बेटे के गायब होने की जानकारी नहीं हो पायी थी। जब पुलिस सुबह आयी थी तब उन्हें पता चला की उसके बेटे के साथ घटना कारित हुयी है। आगे पेज संख्या–4 पर कथन किया गया है कि राजबहादुर द्वारा रामसेवक को जो धमकी दी गयी थी, उसकी रिपोर्ट करने कोई थाने नहीं गया था, क्योंकि उन्हें धमकी की जानकारी नहीं थी। उसका लड़का परेशाान नहीं रहता था। साक्षी पी0डब्लू0–5 शैतान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि हत्या की घटना से करीब एक माह पूर्व कल्लो के पिता राजबहादुर ने अमर सिंह के घर जाकर कहा था कि तुम अपने लड़के रामसेवक को समझा लो कि उसकी लड़की से मिले–जुले नहीं, गलत सम्बन्ध नहीं बनाये अपने लड़के को गांव से बाहर कर दो। जबकि पी0डब्लू0–8 मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह ने अपनी जिरह पेज संख्या–8 पर यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कल्लो से अवैध सम्बन्धों के कारण राजबहादुर ने रामसेवक को गांव छोड़कर जाने तथा गांव छोडकर न जाने पर जिन्दा नहीं छोड़ने की धमकी दी हो। आगे कथन किया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने उसके भाई रामसेवक को गांव छोडकर जाने की धमकी नहीं दी थी और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट मे धमकी दिये जाने का कोई दिनांक, समय व स्थान अंकित है। तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 नैना देवी द्वारा अभियुक्तगण हत्या किये जाने का कथन किया गया है। इसी प्रकार सावित्री

पी0डब्लू0–4 द्वारा भी हत्या किये का कथन किया गया है, किन्तु मंजेश पी0डब्लू0–8 द्वारा स्वयं चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंकार किया गया है। पोस्टमार्टमकर्ता पी0डब्लू0–9 डा0 रंजीत सिंह द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण फांसी लगने से दम घुटने के कारण होना बताया गया है तथा जिरह में कथन किया गया है कि मृतक के शरीर पर गले की चोट के अलावा अन्य किसी चोट का निशान नहीं था, मृतक की मृत्यु दिनांक 05.010.2017 की रात्रि एक डेढ बजे के बीच हुयी होगी । मृतक की मृत्यु आत्महत्या से होना सम्भव है क्योंकि शरीर पर कोई अन्य बाहरी संघर्ष के निशान नहीं पाये गये थे। पोस्टमार्टम से हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है। तथ्य के साक्षी वादी पी0डब्लू0–1 घटना का चुक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सावित्री पी0डब्लू0–4, नैना देवी पी0डब्लू0–2 एवं मंजेश पी0डब्लू0–8 की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मृत्यु से पूर्व मृतक को उकसाये जाने अथवा दुष्प्रेरण किये जाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाया या दुष्प्रेरित किया गया है। इस प्रकार धारा 306 भा0दं0स0 के आवश्यक तत्व का अभाव है एवं साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जो मामले के मूल तक जाते हैं।

51– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Abdul Wahid vs The State Of Rajasthan on 28 February, 2025** में यह अवधारित किया गया है कि –

it is for the prosecution to connect the accused to the murder of the deceased by producing credible and legally admissible evidence. However, as we have seen, there is no credible evidence at all to connect the accused persons with the homicidal death of Ahsan. In such circumstances, the appellants are entitled to the benefit of doubt.

<u>आत्महत्या का दुष्प्रेरण हेतु उकसाये जाने के सम्बन्ध में:–</u>

52– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिये न तो उकसाया न दुष्प्रेरण किया और ना ही जान से मारने की धमकी दी। इसलिये अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0स0 का अपराध नहीं बनता है, और अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक रामसेवक के अभियुक्त राजबहादुर की पुत्री से अवैध सम्बन्ध थे, जिसकी जानकारी अभियुक्तगण को हो

गयी और अभियुक्तगण ने वादी के पुत्र रामसेवक को धमकी दी कि वह राजबहादुर की पुत्री कल्लो से मिलना बन्द कर देन और गांव छोडकर चला आये अन्यथा जान मार देगें। इसीलिये मृतक ने आत्महत्या कर ली।

53– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि किसी भी साक्षीगण की साक्ष्य में आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने की बाबत कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। मृतका को धमकी दिये जाने का कथन किया गया है कि वह लडकी से मिले जुले नहीं, गलत सम्बन्ध नहीं बताये और गांव छोड कर चला जाये। साक्षी पी0डब्लू0–11 राजू सिंह विवेचक द्वारा दौरान विवेचना बन्टू, रामौतार व पूरन देवी की नामजदगी गलत पायी गयी। मृतक को राजबहादुर द्वारा चले जाने की धमकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। अन्य अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने वाली बात अंकित नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0–10 निरीक्षक पहलवान सिंह द्वारा जिरह पेज संख्या–4 में कथन किया गया है कि घटना से कितने दिन पहले धमकी दी गयी यह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। यह बात सही है कि मृतक को गांव छोड़कर जाने की धमकी राजबहादुर द्वारा दी गयी थी, लेकिन राजबहादुर को इस मुकदमें में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। डा0 रंजीत सिंह पी0डब्लू0–9 द्वारा मृत्यु का कारण फांसी लगने से दम घुटने के कारण होना अंकित है। मृतक के शरीर पर गले की चोट के अलावा अथवा घर्षण को निशान मौजूद नहीं था। मृतक की मृत्यु आत्महत्या से होना सम्भव है क्योंकि शरीर पर कोई अन्य बाहरी संघर्ष के निशान नहीं पाये गये थे। पोस्टमार्टम से हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाये जाने अथवा दुष्प्रेरण किये जाने का साक्ष्य नहीं दिया गया । साक्षी नैना देवी पी0डब्लू0–2 द्वारा भी मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाये जाने अथवा दुष्प्रेरण किये जाने का साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसी प्रकार साक्षीगण कालीचरन पी0डब्लू0–3, सावित्री पी0डब्लू0–4, शैतान सिंह पी0डब्लू0–5 एवं मंजेश उर्फ राजेन्द्र सिंह द्वारा भी मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाये जाने अथवा दुष्प्रेरण किये जाने के कोई शब्द उल्लिखित नहीं किये गये है कि किस प्रकार मृतका को आत्महत्या के लिये उकसाया गया और दुष्प्रेरण किया। मात्र धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। धारा 306 एवं 107 भा0दं0स0 के तहत आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जाना एक आवश्यक तत्व है, जिसका प्रस्तुत मामले में अभाव है। इस प्रकार अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से यह

साबित करने मे विफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाया व दुष्प्रेरण किया गया हो।

54— इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस सम्बन्ध में आपराधिक न्याय शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व होता है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे साबित करे। हालांकि विधि अनुसार उचित संदेह शाब्दावली के अन्तर्गत सभी संदेह सम्मिलित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध उनकी प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता की बाबत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को एक–दूसरे से जोड़कर साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

55— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का स्थापित होना आवश्यक बनाया है –

1— जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के अपराध बोध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें संज्ञात्मक और दृढता से स्थापित किया जाना चाहिए।

2— परिस्थितियॉ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर इंशारा इंगित करती हों।

2— समग्र रूप से ली गयी परिस्थितियों की एक पूरी श्रखंला बननी चाहिऐ कि सभी मानव सम्भाव्यता के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य के द्वारा नहीं।

4— अभियुक्त को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने के लिये परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण एवं अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में अक्षम होना चाहिए। (संजू बनाम केरल राज्य 2001 (1)जे आई सी पृष्ठ 306(एस सी), स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम खेराजराम (2003)(8) एस सी सी पृष्ठ 224, स्टेट आंफ बेस्ट बंगाल बनाम दीपक हल्दर 2009 (4) सुप्रीम पृष्ठ 393 (तीन जज खण्ड पीठ), स्टेट आंफ गोवा बनाम पदमनन मोहित ए आई आर 2009 एस सी पृष्ठ 166), ऐसी स्थिति में न्यायालय को अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

उपरोक्त परीक्षणों के प्रकाश में करना उचित एवं न्याय सगंत प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ऊपर किये गये विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि साक्षीगण की साक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण विरोधाभास है तथा साक्षी हरवीर व नीरज जिनको अभियुक्तगण को अंतिम बार भागते हुये देखे जाने का कथन किया गया है, को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, बल्कि दिनांक 23.01.2025 को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है।

56— इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण द्वारा मृतका रामसेवकक को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने व लाश के बरामद होने तक, की परिस्थितियों को एक–दूसरे से बखूबी जोड़कर साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण की ओर से साक्षीगण से की गयी विस्तृत जिरह मे भी, तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभास हैं। **शरद बृद्धीचन्द शारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं 2019 (107) ए0 सी0 सी0 619 (सुप्रीम कोर्ट), दिगम्बर वैसनव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियुक्त की दोषिता को लेकर दो विपरीत अभिमत सम्भव हो तो जिस मत से अभियुक्त को लाभ पहुँचता हो वह मत स्वीकार्य होगा। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त विधि व्यवस्था का पाने के अधिकारी हैं।

57— इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य से अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार एवं राजेश के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

58— इस निमित्त विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम. पी.ए.आई.आर.1992 एस.सी. 49** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार होगा।

59— इसके अतिरिक्त साक्षीगण पी0डब्लू0–6 एस.एस.आई. मानवीर सिंह, पी0डब्लू0–9 डा0 रंजीत सिंह, पी0डब्लू0–10 निरीक्षक पहलवान सिंह, पी0 डब्लू0–11 निरीक्षक राजू सिंह एवं पी0डब्लू0–12 उपनिरीक्षक अमित शर्मा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, बल्कि औपचारिक साक्षीगण हैं, इसलिये मात्र उक्त

औपचारिक साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

60— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं साक्ष्य से अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार एवं राजेश के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुये दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

(i)- अभियुक्तगण अभिनन्दन, राजकुमार एवं राजेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(ii)- अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(iii)- अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के प्राविधानों के अनुसार मुब0 20,000/—20,000/—(बीस—बीस) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो—दो प्रतिभूतियॉ इस आशय की न्यायालय में प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है तो वह वहॉ उपस्थित होगें। यह बंधपत्र 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक—25.03.2025

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक—25.03.2025

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज